(1)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौली सवाई माधोपुर

विविध दीवानी सं. 1/2020

पीठासीन अधिकारी– बद्री नारायण मीना आर ए एस

1. चिरंजीलाल पुत्र देवकिशन 2. गोरधन पुत्र देवकिशन जाति गुर्जर निवासी गुडलानदी तहसील बोली जिला सवाई माधोपुर

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार बोली जिला सवाई माधोपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 ,128 राज.भू.अधिनियम

उपस्थितः– श्री राजमल जैन एडवोकेट प्रार्थीयान की और से

दिनांक 28.9.21

आदेश

प्रार्थीयान की और से यह प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम गुडलानदी तहसील बोली मे आराजी खसरा नं. 272 रकबा 0.01 है, 273 रकबा 0.75 है, एवं 287 रकबा 0.60 है. वाके हैं ।उक्त आराजीयात में प्रार्थीगण का 8/9 हिस्सा हैं । जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा चला रहा हैं लेकिन आस पास क अन्य कई लोगो की खातेदारी की आराजी हैं वह आये दिन सीना बाबत विवाद करते रहते हैं जिससे सीमाबंदी में कठिनाई हो रहीं हैं अतः उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान करवाने के आदेश फरनाये जावे।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त आराजीयात मुतनाजा प्रार्थीयान की खातेदारी की आराजीयात हैं ऐसी स्थिति में सीमा विवाद होने पर प्रार्थीयान की खातेदारी की उक्त आराजीयात का सीमांकन एवं पत्थरगढी कर सीमा विवाद का निस्तारण राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111, 128 में उल्लेखित व्यवस्था अनुरूप किया जाना विधिसंगत हैं।

अतः तहसीलदार बौली को निर्देश दिये जाते हैं कि गुडलानदी तहसील बोली मे आराजी खसरा नं. 272 रकबा 0.01 है, 273 रकबा 0.75 है. एवं 287 रकबा 0.60 है. का सीमांकन एवं पत्थरगढी कर पालना से अवगत करावें। यदि मौके पर फसल सरसब्ज हैं तो बाद उपज कटाई आदेश की पालना करें।

आदेश आज दिनांक 28.9.21 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित एवं उच्चारित किया गया।

उप जिला कलेक्टर बौली जिला सवाई माधोपुर

2417
30.9.21

(बद्री नारायण मीना)
उप जिला कलेक्टर
बौली जिला सवाई माधोपुर
बौली जिला स.मा.

Received
टचीप
12.10.21